11.2.17 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत
के पेश हुई। वकील वादी और
प्रतिवादी उपस्थित। वकील वादी
राजीनामा पेश करना नहीं चाहते हैं
तो राजीनामा करने की [illegible] है। वादी
की बहस सुनी गई। वादी की
याचना लोक अदालत की भावना को
ध्यानगत रखते हुए स्वीकार किया जाकर
विस्तृत निर्णय व डिक्री प्रस्ताव के अनुसार [illegible]
जारी करना [illegible]। कोई आदेश [illegible] गई।
पत्रावली फैसला बमुताबिक होकर दाखिल
दफ्तर हो।

[illegible] 11/2/17
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री नाथूसिह राठौड़, आर.ए.एस.

राव् वाद सं.132/2016

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
मोतीराम पुत्र सताराम		1.लिखमाराम पुत्र पाबुराम
जाति जाट		2.विशनाराम पुत्र पाबुराम जाति जाट
निवासी धन्ने की ढाणी(कमठाई)		निवासी धन्ने की ढाणी(कमठाई) तहसील
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		सिणधरी जिला बाड़मेर
		3.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दलाराम चौधरी,अधिवक्ता,वादी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी स.1 से 3 एकरतफा

निर्णय

दिनांक– 11.2.2019

1.सक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की आवगी खातेदारी भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 283/71 रकबा 29–07 बीधा व खसरा संख्या 311/189 रकबा 17–08 बीधा कुल रकबा 46–15 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर वादी की रहवासी ढाणी,टांके,बाड़े,चारे की कलाले आदि बने हुए

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

वादी का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है,वादी की खातेदारी भूमि के सेढा प्रतिवादी की भूमि आई हुई है,जो आये दिन वादी की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी करते आ रहे है,और वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जाती है,अतः वादी ने प्रतिवादी के विरूद वादी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करने एवं वादी की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण नही करने बाबत स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वादपत्र पेश किया गया है।

2 वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर,प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद सम्मन तामिल होने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य पेश नही की गई है,और दस्तावेजी साक्ष्य मे ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 283/71 व 311/189 कुल रकबा 46–15 बीधा जमाबन्दी संवत 2068 से 2071 तक एवं नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई है।

4.वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया,कि वादी की आवगी खातेदारी भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 283/71 रकबा 29–07 बीधा व खसरा संख्या 311/189 रकबा 17–08 बीधा कुल रकबा 46–15 बीधा भूमि अवस्थित है,जिस पर वादी की रहवासी ढाणी,टांके,बाड़े,चारे की कलाले आदि बने हुए है,और वादी का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी भूमि के सेढा सेढ प्रतिवादी की भूमि आई हुई है,जो आये दिन वादी की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी करते आ रहे है,वादी की उक्त

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादी कब्जा कर काश्त करने के लिए हमेशा आमद रहने से वादी को यह हमेशा बना रहता है,कि उसकी कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर वादी के बेदखल कर देगे। प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी पर अपना कब्जा कर वादी से भूमि हड़पना चाहते है,यदि ऐसा करने मे सफल हो गये,तो वादी के वादपत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। आगे ओर कथन किया कि प्रतिवादी स.1 व 2 द्वारा बरसात के समय मे वादी की खातेदारी भूमि की सीमाओ के लेकर विवाद करते रहते है। अतः वादी के पक्ष मे प्रतिवादी के विरूद इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे। कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे। एवं वादी की खातेदारी भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण नही करावे।

5.हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमे पाया कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार् क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 283/71 रकबा 29–07 बीधा व खसरा संख्या 311/189 रकबा 17–08 बीधा कुल रकबा 46–15 बीधा भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे एवं कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट पैदा नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया गया है। चुंकि वादी वादग्रस्त भूमि का रिकार्डड खातेदार है,रिकार्डड खातेदारी की भूमि मे कोई सेढा पडौसी या अन्य व्यक्ति किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,और यदि खातेदारी को ऐसा लगता है,तो खातेदार उक्त अधिनियम के तहत राहत पाने का हकदार है,ऐसी सुरत मे वादी की

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

तेदारी भूमि मे प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नही कर सकता है,एवं प्रतिवादी मौजुद सम्मन तामिल के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि प्रतिवादी की वादी के वादपत्र को स्वीकार किये जाने की मौन स्वीकृति है।

6. लिहाजा वादी का वादपत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 283/71 रकबा 29–07 बीधा व खसरा संख्या 311/189 कुल रकबा 46–15 बीधा भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलदान्जी नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 व 2 के विरूद जारी की जाती है,तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

11/2/12
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

निर्णय.आज दिनांक 11/2/12 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

11/2/12
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code,Appendix "d"1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी
ब इजलास श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मोतीराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी(कमठाई) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1.लिखमाराम पुत्र पाबुराम 2.विशनाराम पुत्र पाबुराम जाति जाट निवासी धन्ने की ढाणी(कमठाई) तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 3.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स.–132/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री दलाराम चौधरी,वकील मिनजानिब व प्रतिवादीगण एकरतफा प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं, कि वादी का वादपत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम धन्ने की ढाणी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 283/71 रकबा 29–07 बीधा व खसरा संख्या 311/189 कुल रकबा 46–15 बीधा भूमि मे प्रतिवादी स.1 व 2 किसी प्रकार की दखलंदांजी नही करे,इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा वादी के पक्ष मे प्रतिवादी स.1 व 2 के विरूद जारी की जाती है

बीज – मुबलिग – बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह ––––फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ––––– को अदा करे ।
बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/2/17 को जारी की गई ।

11/2/17
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned by CamScanner